न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/717 /2006/बांरा

1— मदनलाल
2— प्रेमशंकर पुत्र प्रभुलाल
3— कन्याबाई मृतक जरिये कायम मुकामः—
3/1 छीतरलाल पुत्र किशन
3/2 गिर्राज
3/3 रामबाबू
3/4 विनोद
3/5 नरेन्द्र पुत्र छीतरलाल
3/6 मीना बाई पुत्री छीतरलाल
4— शांतिबाई पुत्री प्रभुलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सारेखण्डकलां तहसील अंता जिला बांरा।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— मोहनलाल मृतक के कायम मुकामः—
1/1 लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनलाल
1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र मोहनलाल
1/3 रामबाबू पुत्र मोहनलाल
1/4 नवलबाई पुत्री मोहनलाल
1/5 केदारबाई पुत्री मोहनलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सारेखण्डकलां तहसील अंता जिला बांरा।
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंता जिला बांरा।

..... प्रत्यर्थीगण

अपील/डिक्री/टीए/751 /2006/बांरा

रामेश्वर पुत्र धुलीलाल जाति ब्राहमण निवासी सारेखण्डकलां तहसील अंता जिला बांरा।

बनाम

1— मोहनलाल मृतक के कायम मुकामः—
1/1 लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनलाल

1/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र मोहनलाल
1/3 रामबाबू पुत्र मोहनलाल
1/4 नवलबाई पुत्री मोहनलाल
1/5 केदारबाई पुत्री मोहनलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सारेखण्डकलां तहसील अंता जिला बांरा।

2— मदनलाल
3— प्रेमशंकर पुत्र प्रभुलाल
4— कन्याबाई मृतक जरिये कायम मुकामः—
4/1 छीतरलाल पुत्र किशन
4/2 गिर्राज
4/3 रामबाबू
4/4 विनोद
4/5 नरेन्द्र पुत्र छीतरलाल
4/6 मीना बाई पुत्री छीतरलाल
5— शांतिबाई पुत्री प्रभुलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सारेखण्डकलां तहसील अंता जिला बांरा।
6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंता जिला बांरा।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड—पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री जी.एस.चारण, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी/रेस्पोडेंट्स

दिनांक 23—10—24

निर्णय

1— ये दोनों द्वितीय अपीलें न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18—01—06 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि, विवाद का बिन्दु और पक्षकारान समान है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी दोंनो अपीलों का निस्तारण अपने एक ही निर्णय से किया है ऐसी स्थिति में हमारें द्वारा हस्तगत् दोनों अपीलों का निर्णय इस

एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर अंता में एक वाद रेस्पोडेंट वादी सं.1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में प्रस्तुत कर विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा वादी के पृथक खाते में दर्ज कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात बनाते हुए निर्णय दिनांक 28—06—04 द्वारा स्वीकार कर लिया एवं प्रतिवादी द्वारा दायर वाद संख्या 3/96 मदनलाल बनाम मोहनलाल कन्सोलिडेट करते हुए साबित नहीं होने की स्थिति में उक्त आदेश से ही खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध मदनलाल एवं रामेश्वर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें निर्णय व डिक्री दिनांक 18—01—06 द्वारा खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय दिनांक 18—01—06 से व्यथित होकर ये दोनों द्वितीयें अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 28—02—2020 प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम व रिकोर्ड के प्रतिकूल है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध विधि अनुसार तामिल करवाए बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रकरणों को त्रुटिपूर्ण कन्सोलिडेट करते हुए निर्णय दिया है, जबकि दोनों ही वादों में न तो समान पक्षकार थे और न ही समान अनुतोष था। रेस्पो0 संख्या 2 के वाद में अपीलांट पक्षकार नहीं था, तो कन्सोलिडेशन किसी भी रूप में संभव नहीं था। मोहनलाल वादी अकेले वाद लाने का अधिकारी नहीं था, जबकि पूरी आराजी पैतृक है। प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। वादी का वाद वसीयत के आधार पर था। उक्त वसीयत बनावटी और फर्जी थी और वसीयतकर्ता का भी वसीयत करने का अधिकार नहीं था। वसीयत रामचन्द्र के द्वारा कस्तूरीबाई के पक्ष में की गई। कस्तूरीबाई का निधन कब हुआ और कस्तूरीबाई ने अपने जीवनकाल में वसीयत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। जब तक वह जीवित रही, कोई भी वाद दायर नहीं हुआ। वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया गया और न ही वसीयत के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही की गई। ऐसा दस्तावेज संदेह उत्पन्न करता है।

वादी मृतक कस्तूरीबाई का एकमात्र वारिस नहीं है। कस्तूरीबाई के गुलाबबाई, कैलाश बाई एवं मदनलाल तीन और भी वारिसान हैं। वादी ने इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। रामचन्द्र के मरने के बाद एक समझौता धूलीलाल, प्रभुलाल का कस्तूरी देवी के मध्य हुआ था जिसमें से रामचन्द्र का 1/3 हिस्सा कस्तूरीबाई को उसके जीवन गुजर बसर के लिए दी थी और शेष आराजी धूलीलाल व प्रभुलाल ने आपस में बांट ली थी। तत्समय भी वसीयत का हवाला उक्त समझौता पत्र में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए वसीयत के आधार पर किया गया दावा चलने योग्य नहीं था। वसीयत को सक्षम न्यायालय से साबित नहीं कराया गया है। किंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का 1/3 हिस्सा मानकर डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलार्थीगण को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

4— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 248/01 मोहनलाल बनाम मदनलाल तथा दावा संख्या 03/96 मदनलाल बनाम मोहनलाल लंबित है, जिन्हें कन्सोलिडेट करते हुए विचारण न्यायालय ने मदनलाल बनाम मोहनलाल का दावा खारिज कर दिया और मोहनलाल बनाम मदनलाल का दावा डिक्री कर दिया। विवादित भूमि रामचन्द्र, धुलीलाल प्रभुलाल के खाते में दर्ज थी। खातेदार रामचन्द्र के कोई औलाद नहीं होने से उसने अपने 1/3 हिस्से की वसीयत अपनी बहन कस्तूरी बाई के पक्ष में निस्पादित की थी। उसी के आधार पर कस्तूरी बाई विधिक उत्तराधिकारी हुई। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में से वादी कस्तूरी बाई के वारिस होने से अपने हिस्से में 1/3 की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी थे। विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात् निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत दोनों द्वितीय अपीलें खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा 2018 डीएनजे पेज 798 826, 2008 (1) आरआरटी पेज 151, 2018 (2) पेज 848, 2019 (1) आरआरटी पेज 184, 2017 आरआरटी पेज 240, आरआरडी 2015 पेज 105, 2000 आरआरडी पेज

151, 1994 आरआरडी पेज 85, 2019 (2) आरआरटी पेज 1130, 2022 (1) आरआरटी पेज 450 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तत किए।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6— परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 248/01 विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है एवं मदनलाल अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 3/96 दिनांक 28—06—04 से खारिज किया गया है। चूंकि उक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकारान व वाद विषयवस्तु एकसमान थी, ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपीलें अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर हस्तगत दोनों द्वितीय अपीले मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि विवादित भूमि रामचन्द्र, धुलीलाल प्रभुलाल पुत्रान जगन्नाथ के खाते में दर्ज थी। विवादित आराजी में रामचन्द्र धूलीलाल व प्रभुलाल का 1/3—1/3 हिस्सा निहित था। खातेदार रामचन्द्र के कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उसने अपने 1/3 हिस्से की वसीयत अपनी बहन कस्तूरी बाई के पक्ष में निस्पादित की थी। वसीयत के आधार पर कस्तूरी बाई विधिक उत्तराधिकारी हुई। वादी कस्तूरी बाई के विधिक वारिसान हैं। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक बिन्दु कायम करते हुए विवादित आराजी में से वादी को कस्तूरी बाई के विधिक वारिस होने से उसके हिस्से में 1/3 की खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी माना है। रामचन्द्र का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा होने बाबत कोई विवाद नहीं है। रामचन्द्र द्वारा कस्तूरीबाई के पक्ष में वसीयत निस्पादित करने के प्रश्न पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 कायम करते हुए पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णीत की है। वसीयत के फर्जी एवं बनावटी होने के प्रश्न पर परीक्षण न्यायालय ने इस विषय में तनकी संख्या 10 कायम करते हुए विवेचन में यह माना है कि प्रथमतया तो प्रतिवादीगण ऐसा कोई साक्ष्य/ कागज/दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिससे उक्त वसीयत फर्जी सिद्ध होती हो, बल्कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 के विवेचन में उक्त वसीयत को सही सिद्ध किया है। तनकी संख्या 10 के विवेचन में विचारण न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि यदि उक्त वसीयत को प्रतिवादी पक्ष सिविल न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं तो इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कायम की गई तनकियातों को विस्तृत विवेचन करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है एवं प्रतिवादी का वाद निरस्त किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को उचित ठहराया है तथा अपीलार्थीगण की प्रथम अपीलें खारिज की है।

7— अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद दावे एवं जवाबदावें के आधार पर निर्मित विवाद्यकों का निस्तारण करते हुये विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ सही रूप से डिक्री किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को ही पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है। इस प्रकार तथ्यात्मक बिन्दुओं पर दोनों ही न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष हैं और यह निष्कर्ष परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं। अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील ज्ञापन में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षण न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि हस्तगत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर आलोच्य आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत अपीलों पर चस्पा होते हैं।

8— उपरोक्त पेरा 6 व 7 में की गयी विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28—06—04 और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री 18—01—06 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय दोनों अपीलें निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यपूर्ण त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत दोनों द्वितीय अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

9— परिणामतः हस्तगत दोनों द्वितीय अपीले सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को प्रेषित की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय की सूचना अभिभाषक उभय पक्ष के दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य